भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 616 का उत्तर

रेल अवसंरचना का विस्तार

616. प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रेल यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में हो रही उल्लेखनीय वृद्धि से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल अवसंरचना के विस्तार हेतु क्या परिकल्पना तैयार की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा मालवहन यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रेल अवसंरचना का विस्तार के संबंध दिनांक 20.11.2019 को लोक सभा में प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशी के अतारांकित प्रश्न संख्या 616 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): जी हां।

(ख) और (ग):

(i) पिछले चार वर्षों में भारतीय रेल में आरंभिक आधार पर ढोए गए यात्रियों की संख्या इस प्रकार है-

<u>यात्रियों की संख्या</u>

वर्ष	**यात्रियों की संख्या (करोड़ में)**	**पिछले वर्ष की तुलना में सकल वृद्धि (करोड़ में)**	**% वृद्धि**
2015-16	**811**		
2016-17	**812**	**01**	**0.12**
2017-18	**829**	**17**	**2.09**
2018-19	**844**	**15**	**1.81**

(ii) भारतीय रेल में, स्टेशनों का वर्गीकरण, स्टेशनों की आय और संभाले जाने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, रेलवे न्यूनतम अनिवार्य, वांछनीय और अनुशंसित यात्री सुविधाओं में वृद्धि/सुधार के लिए धन की उपलब्धता के अध्यधीन, कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं बनाती है और आगे की रूपरेखा तैयार करती है। यह एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

यात्रियों की वहन क्षमता को बढ़ाने और भारतीय रेल की नेटवर्क प्रणाली पर माल यातायात की जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए 247 दोहरीकरण, 189 नई लाइन, 522 यातायात सुविधाएं और 55 आमान परिवर्तन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ये सभी कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

माल यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय रेल द्वारा किए गए उपायों में सामान्य उद्देश्य माल डिब्बा निवेश योजना (जीपीडब्ल्यूआईएस), उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना (एलडब्ल्यूआईएस), विशेष माल यातायात गाड़ी परिचालन (एसएफटीओ) और ऑटोमोबाइल माल गाड़ी संचालक योजना (एएफटीओ) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, पूर्व और पश्चिम दिशा में समर्पित माल यातायात गलियारों को भी स्वीकृत किया गया है। भारतीय रेल ने दो समर्पित माल यातायात गलियारों (डीएफसी) यथा दनकुनी से लुधियाना तक (1318 किलोमीटर लुधियाना से सोननगर + 538 किलोमीटर सोननगर से दनकुनी) पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारा (ईडीएफसी) और जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से दादरी तक (1504 किलोमीटर) पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) का निर्माण शुरू कर दिया है। दोनों गलियारों को चरणबद्ध तरीके से चालू करके दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन गलियारों के परिणामस्वरूप तीव्रतर और भारी मालगाड़ी की आवाजाही के साथ-साथ मार्गों में यात्री और माल यातायात का पृथक्करण किया जा सकेगा। तदनुसार, इसके परिणामस्वरूप, यात्री सेवाओं में सुधार के लिए मौजूदा मार्गों पर क्षमता बढ़ेगी।

सरकार ने जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से निष्पादित की जा रही 508 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (एमएएचएसआर) को भी मंजूरी दे दी है।

******